पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

36 C III, ब्लॉक-II, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
Fax No. 0771-2221141, Email- dp.cg@nic.in

क्रमांक/पंचा./2018/ 316 नया रायपुर, दिनांक 25/05/2018

प्रति,

कलेक्टर
जिला – नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय :– **दिनांक 10 एवं 11 जून 2018 को पेसा क्षेत्र में विशेष ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में।**

संदर्भ :– **छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2018/155, दिनांक 24.05.2018.**

— 00 —

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें दिनांक 10 एवं 11 जून 2018 को पेसा क्षेत्र में विशेष ग्राम सभा आयोजन के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये है। विशेष ग्रामसभाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक जनभागीदारी हेतु निर्देश प्रेषित किये जा रहे है। जिला स्तर पर इन निर्देशों में नये निर्देश शामिल किये जा सकते है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)

(तारन प्रकाश सिन्हा)
संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ. क्रमांक/पंचा./2018/ 317 नया रायपुर, दिनांक 25/05/2018

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)

संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

ग्राम सभा का सशक्तिकरण

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा–6 सामान्य क्षेत्रों में तथा अनुसूचित क्षेत्रों में धारा–129 ख में ग्राम सभा के आयोजन का विस्तृत उल्लेख किया गया है और इसी तारतम्य में ग्राम सभा का आयोजन होता रहा है, किन्तु ग्राम सभा की कोरम की प्रतिपूर्ति न होने से जनकल्याणकारी योजनाओं में जनता की सहभागिता नहीं हो पाती, जिससे उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है।

अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में कोरम पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मोबलाईजर भी नियुक्त किये गये है, जिन्हें 500/– रूपये प्रति ग्राम सभा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

आगामी 10 एवं 11 जून 2018 को आहुत होने वाले ग्राम सभा में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. ग्राम सभा से 15 दिवस पूर्व वातावरण निर्माण किया जाय। ग्राम सभा के एजेण्डा तिथि एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये कलाजत्था दल का उपयोग किया जावे।
2. ग्राम सभा "रथ" (मॉडल) तैयार किया जावे एवं विभिन्न पंचायतों में इस रथ का भ्रमण कार्यक्रम बनाकर ग्राम सभा का प्रचार किया जावे। ग्राम सभा के लिये कलाजत्था एवं "रथ" चलचित्र के लिये आर.जी.एस.ए. मद से भुगतान नियमानुसार किया जा सकता है।
3. ग्राम सभा में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें आमंत्रण पत्र दिया जावे, जिसमें ग्राम सभा के एजेण्डा स्थान एवं तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
4. ग्राम सभा में अपने वार्ड से कोरम पूर्ति हेतु पंचों को लिखित में निर्देशित किया जावे।

5. पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना।
6. ग्राम पंचायत में विभिन्न शासकीय योजनाओं में लाभान्वित हितग्रायियों की एक पंजी संधारित की जाय, ग्राम सभा के दिन उक्त पंजी का वाचन किया जाय, जिससे हितग्राही मूलक योजनाओं में दोहराव से बचा जा सके।
7. पेसा क्षेत्र के पंचायतों हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित प्रावधानों के विवरण सहित साहित्य का प्रकाशन कर ग्रामसभाओं में वितरण कराया जाय।
8. ग्रामीण क्षेत्र के बालक–बालिका (नवप्रवेशी शालाओं में) उनका अभिनन्दन किया जावे।
9. इन ग्राम सभाओं के लिये पंचायत में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे।

— 00 —